न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–166 / 2022 दायर दिनांक: 20.07.2022

GCMS NO:- 2022/296 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. कैलाशी पत्नी जगदीश जाति बागरिया नि0 बावडी पंचायत खजूरी।
2. जगन्नाथी पत्नी गंगाधर जाति बागरिया नि0 बावडी पंचायत खजूरी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. कालू आ0 गोपाल जाति गुर्जर नि0 बावडी पंचायत खजूरी।
2. शोजी आ0 भूरा जाति बैरवॉ नि. बावडी पंचायत खजूरी।
3. बरफी बाई पत्नी रमेश जाति मीना नि0 सुरली पंचायत जैतपुर।
4. ब्रह्मा बाई पत्नी कमलेश जाति मीना नि0 सुरली पंचायत जैतपुर।
5. मनचेता पत्नी सुरेश जाति मीना नि0 सुरली पंचायत जैतपुर।
6. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 12.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बावडी पंचायत खजूरी की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 164 रकबा 0.1780 हेक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.5906 हैक्टयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 1.5452 हैक्टयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.8818 हैक्टयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.2265 हैक्टयर, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.7119 हैक्टयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.0728 हैक्टयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.0890 हैक्टयर, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.1618 हैक्टयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.1688 हैक्टयर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.4126 हैक्टयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.7847 हैक्टयर कुल किता 16 कुल रकबा 6.1079 हैक्टयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी व हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 164, 165 व 166 पर पहुंचने के लिए पिछले कई वर्षो से आम रास्ता खसरा नम्बर 185 की भूमि से होते हुए सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 184 व खसरा नम्बर 163 के मध्य होकर बालाजी मंदिर के सामने से निकलते आ रहे थे। तथा उक्त भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने के रूप में रास्ते का लगातार उपयोग बदस्तूर करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। नक्शा परिशिष्ट ''अ'' प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह कि पिछले कुछ समय से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण से रंजिश रखने लगे एवं प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के आशय से उक्त भूमिप र स्थित रास्ता नक्शे मे तरमीम नही होने का फायदा उठाकर सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 184 व 163 के मध्य रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 20.6.2022 को कब्जा कर तार खेंच दिये तथा रास्ता अवरूद्व कर दिया तथा जब प्रार्थीगण व उनके पतियों ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का विरोध किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण को जान से खत्म करने की धमकी दी तथा कहा कि हम दोनो ने मिलकर सिवायचक भूमिप र कब्जा कर तुम्हारा वर्षो पुराना रास्ता अवरूद्व कर दिया है अब तुम से जो हो वह कर लेना। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 183 व 163 के रास्ते की भूमिप र कब्जा कर लेने से प्रार्थीगण अपने खातेदारी व हिस्सेदारी की भूमिप र पहुंचने से वंचित हो गये जिससे प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में दर्शाये गये रास्तें को बहाल करवा कर उक्त रास्ते को 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे में तरमीम करवाये इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकोर्ड व नक्शा ट्रेश में करवाये। यह कि प्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दिनांक 17.4.2023 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व भी एकपक्षीय

कार्यवाही की जाती है। रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की चुकी थी। जिसके मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बावडी के खसरा नम्बर 164 मे जाने के लिए रास्ता चाहा गया है जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 184, 163 व 125 मे से होकर रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ते मे खसरा नम्बर 184 सिवायचक मे से 40 गट्ठा लम्बा तथा 2 गट्ठा चौडा, खसरा नम्बर 163 सिवायचक मे से 25 गट्ठा लम्बा तथा 2 गट्ठा चौडा एवं खसरा नम्बर 125 खातेदारी मे से 15 गट्ठा लम्बा तथा 2 गट्ठा चौडा रास्ता हेतु काम मे आयेगी। उक्त चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा रास्ता नक्शे लट्ठे मे दर्ज नही है और ना ही चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त कोई दूसरा निकटतम रास्ता है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से प्रस्तावित कर दर्शाया हुआ है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीया ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम बावडी के खसरा नम्बर 164 पर आने–जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 184 सिवायचक मे से 40 गट्ठा लम्बा तथा 2 गट्ठा चौडा, खसरा नम्बर 163 सिवायचक मे से 25 गट्ठा लम्बा तथा 2 गट्ठा चौडा एवं खसरा नम्बर 125 खातेदारी मे से 15 गट्ठा लम्बा तथा 2 गट्ठा चौडा रास्ता नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट–"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि बाद प्रतिकर राशि जमा होने पर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा

आंशिक नक्शा ट्रेस
ग्राम - बावड़ी, पटवार मण्डल - खजूरी
तहसील - नैनवां (बूंदी)

परिशिष्ट "क"

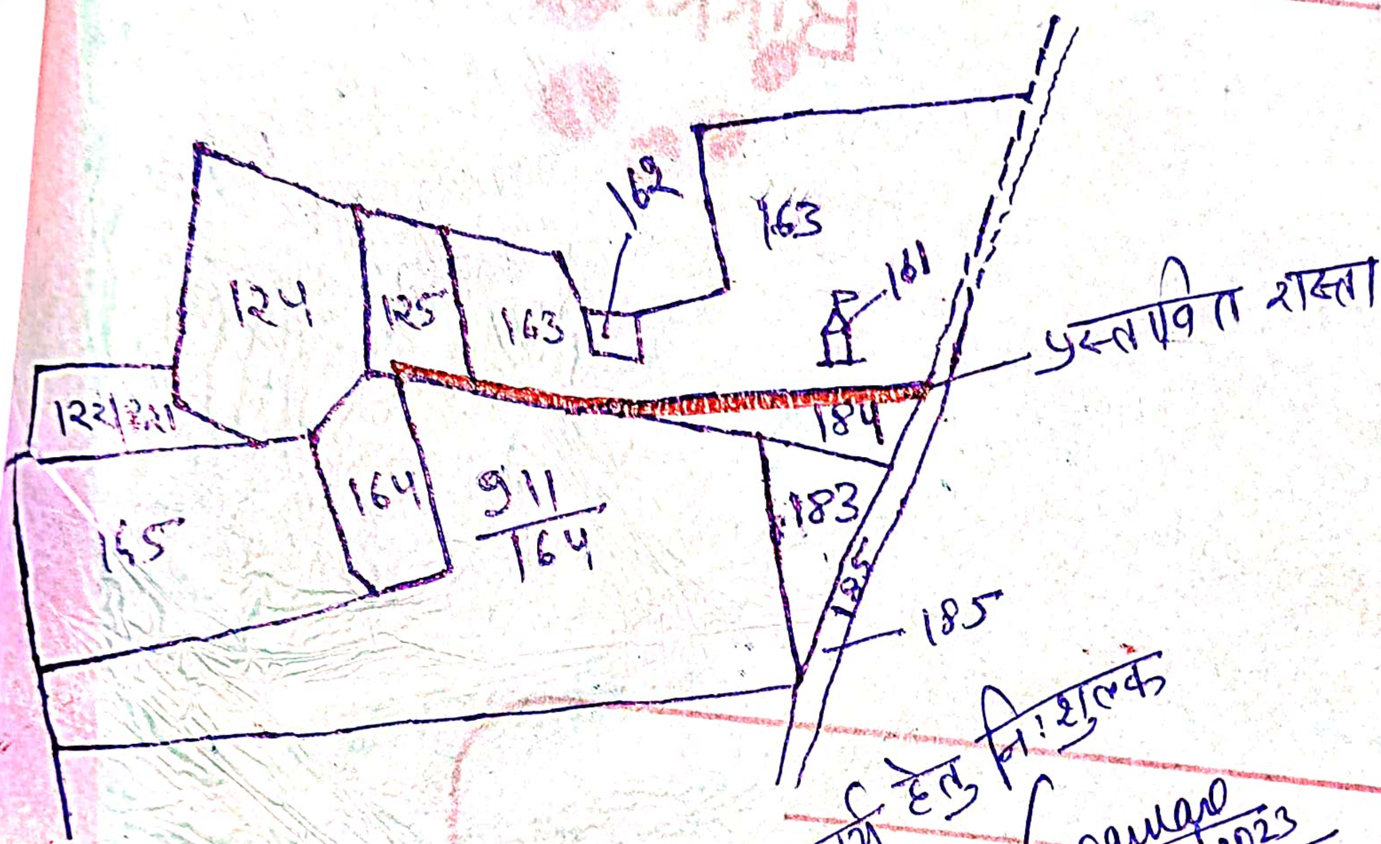

राजकार्य हेतु निःशुल्क

12/09/2023
गौरव कुमार
पटवारी
पटवार मण्डल खजूरी
तह० नैनवां जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)